रामकृष्ण

बनाम

महाराष्ट्र राज्य

27 अप्रेल 2007

(एस.बी.सिन्हा और मार्कंडेय काटजू, जे.जे.)

साक्ष्य अधिनियम, 1872-

धारा-27 अभियुक्त की स्वीकारोक्ति पर चाकू के हैंडल की खोज- अभिनिर्धारितः धारा-27 के तहत स्वीकार्य- गांव में खाद के ढेर में चाकू पाया गया इसलिए, यह तर्क देना सही नहीं है कि चाकू खुली जगह से बरामद किया गया था- दण्ड संहिता, 1860 धारा 302/34

धारा-8 -उददेश्य- जब घटनास्थल पर चाकू के साथ आरोपी की उपस्थिति स्थापित हो जाती है, तो उददेश्य पीछे रह जाता है।

गवाही- गवाह की गवाही का हिस्सा- अभिनिर्धारितः उस पर भरोसा किया जा सकता है।

अभियोजन का मामला यह था कि मृतक व अपीलार्थी संख्या 01 के बीच सम्पत्ति विवाद था। अपीलार्थी-अभियुक्त संख्या 02, अभियुक्त संख्या 01 का बहनोई है। वे एक चाकू और 'उभरी' के नाम से जानी जाने वाली छड़ी के साथ मृतक के घर गए और उस कमरे का दरवाजा बंद कर दिया,

जहां मृतक का बेटा पीडब्ल्यू-8 सो रहा था। जिस कमरे में मृतक की पत्नी सो रही थी, उसका दरवाजा खुला था। अपने पति का चिल्लाना सुनकर पीडब्ल्यू-3 बाहर आई। अपीलार्थी ने उसे चाकू की नोंक पर धमकी देते हुए चिल्लाने से मना कर दिया। दोनों अभियुक्तगण ने मृतक पर चाकू और उभरी से हमला किया। पीडब्ल्यू-8 ने अपने पिता की चीखें सुनी। उसने दरवाजा तोड़ा और अभियुक्त को अपने पिता के कमरे से बाहर निकलते देखा। मृतक को चोटें आई।

जांच के दौरान, अपीलार्थी ने एक स्वीकारोक्ति की, जिससे चाकू का हैंडल बरामद हुआ। विचारण न्यायालय के समक्ष पीडब्ल्यू-3 मुकर गई। दो अन्य गवाह मुकर गये। हालांकि, विचारण न्यायालय ने पीडब्ल्यू-8 के बयानों और कुछ हद तक पीडब्ल्यू-3 के बयान पर भरोसा करते हुए अपीलार्थी को भारतीय दण्ड संहिता की धारा-302/34 के तहत अपराध के लिए दोषी ठहराया। उच्च न्यायालय ने दोषसिद्धि को बरकरार रखा इसलिए वर्तमान अपील।

याचिका खारिज करते हुए न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया-

1. प्रथम सूचना रिपोर्ट यथाशीघ्र संभव समय पर दर्ज करवाई गई थी। घटना के तुरन्त बाद प्रथम सूचनादाता पीडब्ल्यू-8 ने पीडब्ल्यू-1 से सम्पर्क किया। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि पीडब्ल्यू-8 द्वारा मृतक के हमलावरों के रूप में अपीलार्थी-और अभियुक्त संख्या 01 को नामित किया

गया। पीडब्ल्यू-8 द्वारा मृतक के हमलावरों के नामों का यथाशीघ्र सम्भव अवसर पर खुलासा, विवाद में नहीं होने से निचली अदालत ने अभियोजन मामले पर विश्वास करने में कोई गलती नहीं की। (पैरा 8 और 9) (822-जी.एच. 823-ए)

2. पीडब्ल्यू-8 के साक्ष्य ने अभियोजन पक्ष के मामले का पूरी तरह से समर्थन किया। अपने पिता की चीखें सुनकर घटनास्थल पर पहुंचने वाला वह पहला व्यक्ति था। उसे दरवाजा तोड़ना पड़ा। उसने आरोपी को कमरे से बाहर आते हुए पाया। उसने उन्हें इन्तजार करने के लिए कहा था लेकिन वे भाग गये। यह तथ्य कि किसी भी पुरूष सदस्य को आरोपी पर हमला करने से रोकने के लिये उसके दरवाजे बाहर से बंद कर दिये गये थे और हमला होने के तुरन्त बाद उसका घटनास्थल पर पहुंचना, किसी भी संदेह से परे है। उन्होंने मृतक को उसके शरीर पर कई स्थानों पर खून बहने के घावों के साथ पाया। उन्हें चाकू का बट भी मृतक के पेट में लगा हुआ मिला। उसकी सौतेली मां पीडब्ल्यू-3 ने स्पष्ट रूप से कहा कि यह आरोपी ही था जिसने मृतक पर हमला किया था। हो सकता है कि वह मुकर गई हो लेकिन उसने कमरे में दो लोगों को देखा था। अभियुक्त संख्या 01 उनमें से एक था। हालांकि उसने अपनी मुख्य परीक्षा में कहा कि वह दूसरे व्यक्ति की पहचान नहीं कर सकी, लेकिन अभियोजन पक्ष द्वारा की गई प्रतिपरीक्षा में उसने स्पष्ट रूप से कहा कि

अभियुक्त संख्या 01 के अलावा एक अन्य व्यक्ति ने चाकू की नोंक पर धमकी देते हुए उसे चिल्लाने से रोका। पीडब्ल्यू-3 ने अदालत में अपीलार्थी की पहचान की। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि अदालत के समक्ष आरोपी वही व्यक्ति था जो उसे चाकू की नोंक पर चिल्लाने से रोक रहा था। (पैरा 12) (823 सी, डी, ई, एफ)

3.1 पोस्टमार्टम रिपोर्ट से ऐसा प्रतीत होता है कि मृतक को शव परीक्षण से पूर्व लगभग सात चोटें आई थी। शल्य चिकित्सक की राय में, मृत्यु का सम्भावित कारण कई बाहरी चोटों और हृदय और आंत जैसे आंतरिक अंगों में चोटों के कारण सदमा और रक्तस्राव था। पीडब्ल्यू-6 ने साबित किया कि अपीलार्थी ने उससे एक साईकिल किराये पर ली थी। उन्होंने अदालत में उसकी पहचान उस व्यक्ति के रूप में भी की, जिसने साईकिल किराये पर ली थी। (पैरा 14 और 15) (823- जी, एच, 824- ए, बी)

3.2 रासायनिक विश्लेषक की रिपोर्ट (ईएक्सटी-38) यह स्थापित करती है कि चाकू पर मानव खून पाया गया था और अपीलार्थी के कहने पर बरामद किये गये चाकू के बट पर भी मानव खून पाया गया था। इसका भी कुछ महत्व है। उक्त तथ्य की खोज भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा-27 के तहत स्वीकार्य है। यह तर्क देना भी सही नहीं है कि चाकू का बट एक खुली जगह से बरामद किया गया था। पीडब्ल्यू-4 के अनुसार, चाकू उस

गांव में खाद के ढेर में पाया गया, जिसका अपीलार्थी निवासी था। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि चाकू का बट सड़क से गुजरने वाले किसी व्यक्ति द्वारा नहीं देखा गया होगा। अपीलार्थी के कपड़े भी उसकी निशानदेही से बरामद किये गये।(पारस 16 और 17) (824- सी, डी)

4.1 उच्च न्यायालय ने उददेश्य के सवाल पर शायद विस्तृत रूप से विचार नहीं किया होगा लेकिन जब अभियुक्त संख्या 01 के साथ अपीलार्थी की उपस्थिति स्थापित हो चुकी है, तो उददेश्य पीछे रह जाता है। अपीलार्थी अवश्य ही घटनास्थल पर आया होगा। वह चाकू लेकर आया था। चाकू के घाव पाये गये। भले ही अभियोजन पक्ष प्रत्येक अभियुक्त द्वारा निभाई गई सटीक भूमिका को स्थापित करने में सक्षम नहीं हुआ है, लेकिन यह तथ्य कि दोनों अभियुक्तगण का अपराध करने का सामान्य इरादा था, स्थापित हो गया। यह नहीं कहा जा सकता है कि विचारण न्यायाधीश ने आंशिक रूप से पीडब्ल्यू-3 की गवाही पर भरोसा करने में कोई त्रुटि की है। कानून में यह स्वीकार्य। (पैरा 18) (824- ई, एफ)

सेमा भाई बनाम गुजरात राज्य, एआईआर (1975) एससी-1453, यू.पी.राज्य बनाम रमेश प्रसाद मिश्रा एवं अन्य, (1996) 10 एससीसी-360, गुरप्रीत सिंह बनाम हरियाणा राज्य, (2002) 8 एससीसी-18 एवं गगन गनौजिया एवं अन्य बनाम पंजाब राज्य (2006) 12 स्केल-479 पर निर्भर था।

4.2 यह अच्छी तरह से स्थापित है कि अदालतें उस एक गवाह की गवाही के एक हिस्से पर भरोसा करने की हकदार हैं, जिससे अभियोजन पक्ष द्वारा प्रतिपरीक्षा करने की अनुमति दी गई है। (पैरा-19) (824-जी)

आपराधिक अपीलीय क्षेत्राधिकारः आपराधिक अपील संख्या 1157 सन् 2006

बॉम्बे उच्च न्यायालय, नागपुर बैंच के आपराधिक अपील संख्या 31 सन् 1991 के अंतिम निर्णय और आदेश दिनांक 16.06.2006 से।

डॉ० राजीव मसूदकर और सत्यजीत देसाई (वेंकटेश्वर राव अनुमोलु के लिए) अपीलार्थी के लिए।

रविन्द्र केशवराव अदसूरे प्रतिवादी के लिए।

न्यायालय का निर्णय इनके द्वारा दिया गया-

एस.बी.सिन्हा, जे.

1. अपीलार्थी, जो ट्रायल जज के समक्ष अभियुक्त संख्या 02 था, आपराधिक अपील संख्या 31 सन् 1991 बॉम्बे, नागपुर पीठ में उच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांकित 16.06.2006 से व्यथित और असंतुष्ट है, जिसके तहत अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, चन्द्रपुर द्वारा पारित फैसला दिनांकित 22.01.1991 के खिलाफ उनके द्वारा की गई अपील को खारिज कर दिया गया, जिसमें उन्हें भारतीय दण्ड संहिता की धारा

302/34 के तहत अपराध करने के लिए दोषी ठहराया गया था। पक्षकार आपस में घनिष्ठ रूप से जुड़े हुए हैं। मृतक का नाम कन्नू शेंडे था। अभियक्त संख्या 01 (इसके बाद से मृतक) बलिराम था। अपीलार्थी जो विद्वान विचारण न्यायालय के समक्ष अभियुक्त संख्या 02 था व उक्त बलिराम का बहनोई था। विचाराधीन घटना के दो चश्मदीद गवाह पीडब्ल्यू-3 शोभा उनकी पत्नी और पीडब्ल्यू-8 दन्यानेश्वर उनका पुत्र थे। इस स्तर पर, हम देख सकते हैं कि दन्यानेश्वर ने बाद में बलिराम को मार डाला। उसे आजीवन कठोर कारावास की सजा सुनाई गई। जब इस मामले में सुनवाई चल रही थी, तो वह सजा काट रहा था।

2. अभियोजन का मामला यह है कि मृतक और उक्त बलिराम के बीच संयुक्त परिवार की सम्पत्तियों के विभाजन के संबंध में विवाद हुआ था। मृतक बलिराम ने मृतक की मोटरसाईकिल भी मांगी थी, जिसे देने से इन्कार कर दिया गया था। दिनांक 21.09.1986 की मध्यरात्रि के लगभग दो बजे दोनों आरोपी मृतक के घर आए। अभियुक्त संख्या 01 के पास एक बड़ी छड़ी थी, जिसे "उभरी" के नाम से जाना जाता था। अपीलार्थी चाकू से लैस था। उन्होंने उस कमरे का दरवाजा बंद कर दिया था, जहां दन्यानेश्वर सो रहा था। हालांकि मृतक और उसकी पत्नी शोभा के कमरे के बीच का दरवाजा खुला था। अपने पति का चिल्लाना सुनकर शोभा बाहर आ गई। अपीलार्थी ने उसे चाकू की नोंक पर धमकी देते हुए चिल्लाने से मना

किया। इसके बाद दोनों आरोपियों ने मृतक कन्नू शेंडे पर उभरी (छड़ी) और चाकू से हमला किया।

3. पीडब्ल्यू-8 ने अपने पिता की चीख सुनी। उसने बाहर आने की कोशिश की लेकिन दरवाजे बंद मिले। वह दरवाजा तोड़ सकता था। वह कमरे से बाहर आया और अपने पिता के पास गया और दोनों अभियुक्तगण को कमरे से बाहर आते देखा। वे आंगन के रास्ते से भाग गये। उसने अपने पिता को घायल अवस्था में पाया। उसने उनके शरीर पर खून बहने की चोटें भी देखी। उसने मदद के लिए शोर मचाया जिस पर मोहल्ले के 20-25 लोग आ गये। शोभा पीडब्ल्यू-3 ने उसे बताया कि अभियुक्त ने मृतक पर हमला किया था। पीडब्ल्यू-8 तुरन्त पुलिस पाटिल विश्वनाथ पीडब्ल्यू-1 के पास आया। उसने एक रिपोर्ट लिखी। पीडब्ल्यू-1 घर आया और उसके बाद पीडब्ल्यू-8 के साथ सिंदेवाही पुलिस स्टेशन गया। जहां प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज की गई थी। पुलिस स्टेशन गांव से लगभग 9 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यह रिपोर्ट सुबह करीब 6.45 बजे दर्ज की गई।

4. जांच के दौरान, अपीलार्थी ने यहां एक स्वीकारोक्ति की, जिससे चाकू के हैंडल की बरामदगी हुई, जिसके बारे में कहा जाता है कि इसका उपयोग मृतक की हत्या के लिए किया गया था।

5. विद्वान विचारण न्यायालय के समक्ष, अन्य बातों के साथ-

साथ मृतक की पत्नी से परीक्षण किया गया। वह मुकर गई। दो अन्य गवाह पीडब्ल्यू-5 नीलेश व पीडब्ल्यू-7 उत्तम, जिन्होंने पुलिस के सामने बयान दिया था कि वे बलिराम और रामकृष्ण के साथ साईकिल पर गांव आये थे, को भी पक्षद्रोही घोषित कर दिया गया था। हालांकि विद्वान विचारण न्यायालय ने दन्यानेश्वर (पीडब्ल्यू-8) के बयानों और कुछ हद तक पीडब्ल्यू-3 शोभा के बयानों पर भरोसा किया। अपीलार्थी को उक्त अपराध करने का दोषी पाया गया। जैसाकि यहां पहले देखा गया है, अपीलार्थी द्वारा इसके विरूद्घ दायर की गई अपील, खारिज कर दी गई है।

6. डॉ० संजीव मसुदकर, अपीलार्थी की ओर से पेश हुए विद्वान अधिवक्ता इस अपील के समर्थन में अन्य बातों के साथ-साथ प्रस्तुत करेंगेः-

(i) चूंकि एकमात्र चश्मदीद गवाह पीडब्ल्यू-3 मुकर गया था, इसलिए दोषसिद्घि के फैसले को कायम नहीं रखा जा सकता है।

(ii) उच्च न्यायालय ने पीडब्ल्यू-8 के बयानों की गहराई से जांच न करके गम्भीर अनियमितता की, क्योंकि वह एक चश्मदीद गवाह नहीं था और इसके अलावा उसने भौतिक विवरणों में खुद का खण्डन किया।

(iii) चाकू का बट एक खुली जगह से बरामद होने के कारण उसकी बरामदगी पर कोई भरोसा नहीं किया जा सकता था।

(iv) उच्च न्यायालय ने अपराध को अंजाम देने के उददेश्य के प्रश्न पर विस्तृत रूप से विचार नहीं किया।

7. दूसरी ओर प्रत्यर्थी की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री रविन्द्र केशवराव अदसूरे निर्णय के समर्थन में प्रस्तुत करेंगेः-

(i) निचली अदालतों ने पीडब्ल्यू-3 की साक्ष्य पर भरोसा करने में कोई गलती नहीं की, जो स्पष्ट रूप से अभियोजन मामले का समर्थन करता है।

(ii) पीडब्ल्यू-4 ने चाकू के हैंडल की बरामदगी साबित कर दी है। अपीलार्थी की संलिप्तता साबित हुई है।

(iii) सीरोलाजिस्ट रिपोर्ट स्पष्ट रूप से स्थापित करती है कि चाकू के बट और मृतक के शरीर पर पाये गये मानव रक्त के नमूने एक ही समूह के थे।

8. निर्विवाद रूप से, प्रथम सूचना रिपोर्ट यथाशीघ्र दर्ज की गई थी। घटना के तुरन्त बाद पहले सूचनादाता पीडब्ल्यू-8 ने पुलिस पाटिल, पीडब्ल्यू-1 से सम्पर्क किया। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि अपीलार्थी और मृतक बलिराम को पीडब्ल्यू-8 द्वारा मृतक के हमलावरों के रूप में नामित किया गया था।

9. पीडब्ल्यू-8 द्वारा मृतक के हमलावरों के नामों का जल्द से

जल्द खुलासा करना विवाद में नहीं होने के कारण, हमारी राय में नीचे की अदालातें ने अभियोजन पक्ष पर विश्वास करने में कोई किसी भी तरह की त्रुटि नहीं की।

10. पीडब्ल्यू-8 मृतक का बेटा था, उसने स्वीकार किया कि उसने बलिराम को मार डाला था और उक्त अपराध के लिए आजीवन कारावास की सजा काट रहा था।

11. घर के विवरण पर कोई विवाद नहीं किया गया है। जांच अधिकारी गणपतराव दरवाड़कर, पीडब्ल्यू-9 की साक्ष्य से स्पष्ट रूप से पता चलता है कि घटनास्थल के पास मिटटी के तेल से भरा एक केन और अन्य वस्तुऐ मिली थी।

12. दन्यानेश्वर के साक्ष्य ने अभियोजन पक्ष के मामले का पूर्ण समर्थन किया। वह अपने पिता की चीख सुनकर घटनास्थल पर पहुंचने वाला पहला व्यक्ति था। उसे दरवाजा तोड़ना पड़ा। उसने आरोपी को कमरे से बाहर आते हुए पाया। उसने उन्हें इन्तजार करने के लिए कहा था लेकिन वे भाग गये। यह तथ्य कि किसी भी पुरूष सदस्य को आरोपी पर हमला करने से रोकने के लिए उसके दरवाजे बाहर से बंद कर दिये गये थे और हमला होने के तुरन्त बाद उसका घटनास्थल पर पहुंचना, किसी भी संदेह से परे है। उसने मृतक को उसके शरीर पर कई स्थानों पर खून बहने के घावों के साथ पाया। उसे मृतक के पेट में चाकू का बट भी लगा हुआ

मिला। उसकी सौतेली मां पीडब्ल्यू-3 ने स्पष्ट रूप से कहा कि यह आरोपी ही था जिसने मृतक पर हमला किया था। हो सकता है कि वह मुकर गई हो लेकिन उसने कमरे में दो लोगों को देखा था। अभियक्त संख्या 01 उनमें से एक था। हालांकि उसने अपनी मुख्य परीक्षा में कहा कि वह दूसरे व्यक्ति की पहचान नहीं कर सकी, लेकिन अभियोजन पक्ष द्वारा की गई प्रतिपरीक्षा में, उसने स्पष्ट रूप से कहा कि बलिराम के अलावा एक अन्य व्यक्ति ने उसे चाकू की नोंक पर धमकी दी और उसे चिल्लाने से रोक दिया। उसके अनुसार बलिराम ने "राम्या काई पाहतेस" ये शब्द बोले। अपीलार्थी के पास चाकू था, यह दर्शाने के लिये अभिलेखों पर ऐसी सामग्री है।

13. पीडब्ल्यू-3 ने अदालत में अपीलार्थी की पहचान की। उसने स्पष्ट रूप से कहा कि अदालत के समक्ष अभियुक्त वही व्यक्ति था, जो चाकू की नोंक पर उसे चिल्लाने से रोक रहा था।

14. पोस्टमार्टम रिपोर्ट से ऐसा प्रतीत होता है कि मृतक को पोस्टमार्टम से पहले लगभग सात चोटें आई थी। मृतक के शव की जांच करने पर आॅटोप्सी सर्जन ने अपनी रिपोर्ट में कहा- ''यह घाव उसी हाथ के हथियार के साथ था, जो एक चाकू था, जिसकी लम्बाई 5 से 6 ईंच थी, जो काले रंग का था, जिसमें एक लोहे का हैंडल था, जिसका एक तरफ नुकीला और उसके (sic) की ओर संकीर्ण था।

15. उनकी राय में, मृत्यु का सम्भावित कारण कई बाहरी चोटों और हृदय व आंत जैसे आंतरिक अंगों में चोटों के कारण सदमा और रक्तस्राव था। पीडब्ल्यू-6 केशव लमन गामदार ने साबित किया कि अपीलार्थी ने उनसे एक साईकिल किराये पर ली थी। उसने अदालत में उसकी पहचान उस व्यक्ति के रूप में भी की जिसने साईकिल किराये पर ली थी।

16. रासायनिक विश्लेषक की रिपोर्ट (ईएक्सटी-38) यह स्थापित करती है कि चाकू पर मानव खून पाया गया था और अपीलार्थी के कहने पर बरामद किये गये चाकू के बट पर मानव रक्त पाया गया था, तो इसका भी कुछ महत्व है। उक्त तथ्य की खोज भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा-27 के तहत स्वीकार्य है।

17. यह तर्क देना भी सही नहीं है कि चाकू का बट किसी खुली जगह से बरामद किया गया था। पीडब्ल्यू-4 के अनुसार चाकू उस गांव चिखलगांव, में खाद के ढेर में पाया गया था, जिसका अपीलार्थी निवासी था। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि चाकू का बट सड़क से गुजरने वाले किसी व्यक्ति द्वारा नहीं देखा गया होगा। अपीलार्थी के कपड़े भी उसकी निशानदेही पर बरामद कर लिये गये।

18. हो सकता है उच्च न्यायालय ने उदेश्य के सवाल पर शायद विस्तृत रूप से विचार नहीं किया होगा, लेकिन जब बलराम के साथ

अपीलार्थी की उपस्थिति स्थापित हो जाती है, तो उददेश्य पीछे रह जाता है। अपीलार्थी अवश्य ही घटनास्थल पर आया होगा। वह चाकू लेकर आया था। चाकू के घाव पाये गये। भले ही अभियोजन पक्ष प्रत्येक अभियुक्त द्वारा निभाई गई सटीक भूमिका को स्थापित करने में सक्षम नहीं हुआ है, लेकिन यह तथ्य स्थापित हो गया कि दोनों अभियुक्तगण का अपराध करने का सामान्य इरादा था। इस संबंध में राज्य के विद्वान अधिवक्ता की दलीलें कुछ महत्व रखती है। यह नहीं कहा जा सकता कि विद्वान विचारण न्यायाधीश और विद्वान विचारण न्यायालय ने पीडब्ल्यू-3 की गवाही पर आंशिक भरोसा करने में कोई त्रुटि की है। हमारी राय में कानून में यह स्वीकार्य है। (सोमा भाई बनाम गुजरात राज्य, एआईआर (1975) एससी-1453 देखें)

19. यह अच्छी तरह से स्थापित है कि अदालतें उस एक गवाह की गवाही के एक हिस्से पर भरोसा करने की हकदार है, जिससे अभियोजन पक्ष द्वारा प्रतिपरीक्षा करने की अनुमति दी गई है।

20. यू.पी.राज्य बनाम रमेश प्रसाद मिश्रा एवं अन्य (1996) 10 एससीसी-360 में इस न्यायालय ने राय दी-

> ''7 ..... यह समान रूप से स्थापित कानून है कि केवल अभियोजन के पक्ष या अभियुक्त के पक्ष में कहने से मुकरे हुए गवाह की साक्ष्य को पूरी तरह से अस्वीकार नहीं किया जायेगा,

लेकिन इसकी बारीकी से जांच की जा सकती है और साक्ष्य के उस हिस्से को, जो अभियोजन या बचाव के मामले से सुसंगत है, स्वीकार किया जा सकता है ...''

गुरप्रीत सिंह बनाम हरियाणा राज्य, (2002) 8 एससीसी-18 और गगन कनौजिया एवं अन्य बनाम पंजाब राज्य, (2006) 12 एससीएएलई-479 भी देखें।

21. उपरोक्त कारणों से, इस अपील में कोई योग्यता नहीं है, जिसे तदनुसार खारिज किया जाता है।

डी.जी. अपील खारिज।

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल 'सुवास' की सहायता से अनुवादक न्यायिक अधिकारी कीर्ति सिंघमर (आर.जे.एस.) द्वारा किया गया है।

अस्वीकरण: यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।